# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 01 / 2021

एच.डी.एफ.सी बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस एच.डी.एफ.सी बैंक हाउस, सेनापती बपत मार्ग लोवेर परेल(पश्चिम) मुम्बई तथा शाखा कार्यालय टाईम्स स्कवायर्स, 10 सेन्ट्रल स्पाईन, विधाधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी इन्द्रजीत सिंह

....प्रार्थी / सिक्योर केडिटर

**बनाम**

1–मैसर्स मधु लैब प्रा.लि. वास्ते निदेशक विक्रमसिंह एवं श्रीमती अनुराधा सिंह पताः एफ– 28 बृज इन्डस्ट्रीयल एरिया, भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

2–विक्रम सिंह पुत्र श्रीनिवास सिंह, निवासी प्लाट न. 198 कृष्णा नगर कालोनी भरतपुर

.....सहऋणी

3–श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्रीनिवास सिंह निवासी प्लाट न. 198 कृष्णा नगर कॉलोनी भरतपुर– 321001

सहऋणी एवं मौर्गेजर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक संम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

———

**उपस्थित :–**

1– श्री विकास शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,

2– श्री विजयसिह पौहिया अभिभाषक अप्रार्थी0

**आदेश** **दिनांक 12.7.2022**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 18–11–2015 को प्रार्थी बैंक से 3110000 / – रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नम्बर 198, कृष्णानगर कॉलोनी, भरतपुर क्षेत्रफल 602.05 वर्ग गज को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 7–7–2019 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 02–12–2019 तक 2628922 / – रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा

.....2

जिला कलक्टर

जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस स्पीडपोस्ट/ रजिस्टर्ड दिनांक 02–12–2019 को पुनः 23.7.2020 को ब्लयूडार्ट एक्सप्रेस लि. कोरियर के माध्यम से भी अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी.की ओर से जबाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज या नियम पेश नहीं किया जिससे अप्रार्थीगण द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण राशि को जमा कराने के लिये किस्त की जासके या उसे जमा कराने के लिये समय दिया जासके।

अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस स्पीटपोस्ट/रजिस्टर्ड दिनांक 02–12–2019 को पुनः 23.7.2020 को ब्लयूडार्ट एक्सप्रेस लि. कोरियर के माध्यम से भी अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नम्बर 198, कृष्णानगर कॉलोनी, भरतपुर क्षेत्रफल 602.05 वर्ग गज ,( जिसके पूर्व में प्लाट न. 197, पश्चिम में प्लाट न. 199, उत्तर में रोड़, दक्षिण में प्लाट न. 182) है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( आलोक रंजन )
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर